राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प. 2(1) गृह–9/2012 जयपुर, दिनांकः 02/11/2020.

परामर्शदात्री

वर्तमान में सम्पूर्ण भारत वर्ष में वैश्विक महामारी कोविड–19 (कोरोना वाइरस डिजीज –2019) फैली हुई है। इसी वजह से राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 दिनांक 1 मई, 2020 को जारी किया एवं उक्त अध्यादेश की धारा 3 में अधिसूचना जारी कर कोविड–19 को सम्पूर्ण राज्य के लिए महामारी अधिसूचित किया। राज्य में कोविड–19 के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ रही हैं।

कोविड–19 से प्रभावित व्यक्तियों की श्वसनकिया प्रभावित होती है, इसलिये यह आवश्यक है कि वायुमण्डल प्रदूषण रहित हो।

राज्य सरकार के सलाहकार समूह (कोविड 19) द्वारा भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह अवगत कराया है कि पटाखों के चलन से होने वाले वायु प्रदूषण (धुंए) से श्वसन तंत्र विशेषकर फेफडों में खराबी होने की संभावना होती है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। पटाखों के धुओं से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा, और कोविड–19 के रोगियों के पश्चातवर्ती प्रभाव विपरीत रूप से प्रभावित होते है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के शोध प्रकाशनों, का हवाला भी दिया है। उक्त आधारों पर सलाहकार समूह ने दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी का इस्तेमाल नही करने की अनुशंसा की है।

राज्य में कोविड–19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य की एवं श्वसन–रोगों से पीड़ित नागरिको के स्वास्थ्य की रक्षार्थ तुरन्त प्रभाव से दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लागू किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः राज्य सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 सपठित विस्फोटक नियम, 2008 में आतिशबाजी की अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञापन प्राधिकारी (Licencing Authority) को यह परामर्श देती है कि वे राज्य में कोविड–19 (कोरोना वाइरस डिजीज –2019) से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी न करें।

इसकी कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1.महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2.महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान जयपुर।
3.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
4.संभागीय आयुक्त, समस्त।
5. महानिरीक्षक रेंज, समस्त।
6.पुलिस आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर।
7. जिला मजिस्ट्रेट, समस्त।
8. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
9. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10.रक्षित पत्रावली ।

02/11/2020
संयुक्त शासन सचिव, गृह